

Speed Post



भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. BST/36/2017/STGMP/DELAAL/RU-III

दिनांक: 25-06-2018

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1. प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
बल्लभ भवन, भोपाल
(मध्य प्रदेश) | 2. संचालक,
संचालनालय रथानीय निधि संपरीक्षा,
भोपाल प्रकोष्ठ,
खण्ड ग, द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन,
भोपाल (मध्य प्रदेश) |
|---|--|

विषय: कथित रूप से आपराधिक षड्यत्र कर आवेदक की पेंशन रोके जाने बाबत – श्री बी.एस. ठाकुर, सेवा निवृत सहायक संचालक, रथानीय निधि संपरीक्षा, वित्त विभाग म. प्र. शासन म. न, 613, लालमाटी सिद्धबाबा रोड, हनुमान होटल, चौक के पास, जबलपुर (म. प्र.) का दिनांक 29-09-2017 का अभ्यावेदन।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस आयोग के समसंख्यक सीटिंग नोटिस दिनांक 13.06.2018 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जो सीटिंग (बैठक) 13-06-2018 को 15.00 बजे होने वाली थी अब वह 05-07-2018 को अपराह्न 13.00 बजे निर्धारित की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में उपस्थित होने का कार्य करें।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष-24615012

प्रतिलिपि:

श्री बी.एस. ठाकुर, सेवा निवृत सहायक संचालक, रथानीय निधि संपरीक्षा, वित्त विभाग म. प्र. शासन म. न, 613, लालमाटी सिद्धबाबा रोड, हनुमान होटल, चौक के पास, जबलपुर (म. प्र.)

AC

1916-18
25/6/18